

रक्षा मंत्रालय  
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)  
रक्षा (पुनर्वास-II)

विषय: सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि में से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मामलों पर विचार करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

रक्षा मंत्रालय के दिनांक 20 जनवरी, 2010 के आईडी सं. 24(4)/2006/रक्षा(पुनर्वास-I) में आंशिक आशोधन करते हुए, माननीय रक्षा मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि में से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आवेदनों पर विचार करते हुए समिति की सिफारिशों को सचिव, ईएसडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

2. आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए समिति के गठन के अलावा जिसे दिनांक 19-9-2012 के रक्षा मंत्रालय आईडी सं. 20(1)/2011 आर (पुनर्वास-II) के मार्फत संशोधित किया गया, उपरोक्त संदर्भित दिनांक 20 जनवरी, 2010 के आईडी नोट की शेष विषयवस्तु में कोई बदलाव नहीं आएगा।

(ए.के. कर्ण)  
उप सचिव (पुनर्वास-II)

समिति के सभी सदस्य

रक्षा मंत्रालय आईडी 7(9)/2020/रक्षा(पुनर्वास-II)

दिनांक 27 जनवरी, 2021

सचिव, ईएसडब्ल्यू के पीपीएस को प्रति सूचनार्थ